

कार्यालय-मुख्य शिक्षा अधिकारी, देहरादून।

आदेश संख्या: प्र0रा0-3/ 359 /स्थाना0(उ0प्रा0वि0)/2013-14, दिनांक : दिसम्बर, 2013
12-02-2014

अनुरोध के आधार स्थानान्तरण आदेश

उत्तराखण्ड शासन माध्यमिक शिक्षा, अनुभाग-2 संख्या: 201(A)/XXIV-2/2013-32 (01)/2013 दिनांक 21 मई 2013 के उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापना नियमावली 2013 में निहित प्राविधानों के अनुसार एवं निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या-प्रा0शि0/वै0स0/22406-20/2013-14 दिनांक 14 नवम्बर, 2013 में दिये गये निर्देशानुसार अनुरोध की श्रेणी में नियम-11(3)(ज) के अन्तर्गत Y क्षेत्र के विद्यालयों में न्यूनतम एक वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके शिक्षकों द्वारा स्थानान्तरण हेतु आवेदन पर नियमानुसार स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत प्रधानाध्यापक/सहायक अध्यापक को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में निजी व्यय पर उपलब्ध रिक्त पद पर स्थानान्तरित किया जाता है। यदि किसी शिक्षक/शिक्षिका द्वारा कोई तथ्य छुपाया गया है, तो सम्बन्धित शिक्षिका का स्थानान्तरण आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा एवं सम्बन्धित के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। स्थानान्तरित शिक्षकों के स्थानान्तरण आदेश का क्रियान्वयन शिक्षा सत्र प्रारम्भ होने की तिथि अर्थात् अप्रैल 2014 में किया जायेगा।

क्र0 सं0	अध्यापक का नाम	कार्यरत विद्यालय का नाम	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम
1	2	3	4
1	श्री अनुराग, स0अ0	रा0उ0प्रा0वि0 मलेथा, चकराता	रा0उ0प्रा0वि0 नाली-2, रायपुर
2	शक्ति प्रसाद बडोनी, स0अ0	रा0उ0प्रा0वि0 सलगा, कालसी	रा0उ0प्रा0वि0 नराया, कालसी
3	रीना देवी, स0अ0	रा0उ0प्रा0वि0 लांगापोखरी, कालसी	रा0उ0प्रा0वि0 पंजिया, कालसी
4	कपिल कुमार कुकरेती, स0अ0	रा0उ0प्रा0वि0 लोहारी, कालसी	रा0उ0प्रा0वि0 पंजिया, कालसी

(पदमेन्द्र सकलानी)
जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0)
देहरादून।

पृ0सं0: प्र0रा0-3/ 4335-39 /स्थाना0(उ0प्रा0वि0)/2013-14, दिनांक : उक्त/अंकित।

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. अपर निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा) गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी, जनपद देहरादून।
5. सम्बन्धित वित्त अधिकारी जनपद देहरादून।
6. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी/उप शिक्षा अधिकारी जनपद देहरादून को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि-
 - a) एकल शिक्षक वाले विद्यालयों से प्रतिस्थानी के न होने की दशा में स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिका को कार्यमुक्त न किया जाय।
 - b) स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिका को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में दिये गये छात्र-अध्यापक के मानक के अनुसार पद रिक्त होने की दशा में ही कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें।
7. सम्बन्धित प्र0अ0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि खण्ड शिक्षा अधिकारी की अनुमति के उपरान्त ही कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें।
8. सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका को तत्काल अनुपालनार्थ प्रेषित।
9. कार्यालय आदेश पंजिका।

(12-2-14)
जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0)
देहरादून।

कार्यालय-मुख्य शिक्षा अधिकारी, देहरादून।

आदेश संख्या: प्र0रा0-3/ 360 /स्थाना0(उ0प्रा0वि0)/2013-14, दिनांक : 12-2-2014
दिसम्बर-2013

अनुरोध के आधार स्थानान्तरण आदेश

उत्तराखण्ड शासन माध्यमिक शिक्षा, अनुभाग-2 संख्या: 201(A)/XXIV-2/2013-32 (01)/2013 दिनांक 21 मई 2013 के उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापना नियमावली 2013 में निहित प्राविधानों के अनुसार एवं निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या-प्रा0शि0/वै0स0/22406-20/2013-14 दिनांक 14 नवम्बर, 2013 में दिये गये निर्देशानुसार अनुरोध की श्रेणी में नियम-11(3)(ड) सेवानिवृत्ति के 3 वर्ष या उससे कम सेवावधि वाले शिक्षकों द्वारा स्थानान्तरण हेतु आवेदन पर स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत प्रधानाध्यापक/सहायक अध्यापक को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में निजी व्यय पर उपलब्ध रिक्त पद पर स्थानान्तरित किया जाता है। यदि किसी शिक्षिक/शिक्षिका द्वारा कोई तथ्य छुपाया गया है, तो सम्बन्धित शिक्षिका का स्थानान्तरण आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा एवं सम्बन्धित के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। स्थानान्तरित शिक्षकों के स्थानान्तरण आदेश का क्रियान्वयन शिक्षा सत्र प्रारम्भ होने की तिथि अर्थात् अप्रैल 2014 में किया जायेगा।

क्र0सं0	अध्यापक का नाम	कार्यरत विद्यालय का नाम	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम
1	2	3	4
1	श्रीमी मीना उप्पल, स0अ0	रा0उ0प्रा0वि0 रजाणू चकराता	रा0उ0प्रा0वि0 लिस्ट्राबाद, डोईवाला
2	छूसी देवी, स0अ0	रा0उ0प्रा0वि0 नराया, कालसी	रा0उ0प्रा0वि0 तिपरपुर, विकासनगर
3	उमा देवी, स0अ0	रा0उ0प्रा0वि0 ठकरासाधार, कालसी	रा0उ0प्रा0वि0 हरिपुर(बा0), कालसी

(पदमेन्द्र सकलानी)
जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0)
देहरादून।

पू0सं0: प्र0रा0-3/ 6340-45 /स्थाना0(उ0प्रा0वि0)/2013-14, दिनांक : उक्तार्कित।

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. अपर निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा) गढ़वाल मण्डल प्रौड़ी।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी, जनपद देहरादून।
5. सम्बन्धित वित्त अधिकारी जनपद देहरादून।
6. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी/उप शिक्षा अधिकारी जनपद देहरादून को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि-
 - a) एकल शिक्षक वाले विद्यालयों से प्रतिस्थानी के न होने की दशा में स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिका को कदापि कार्यमुक्त न किया जाय।
 - b) स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिका को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में दिये गये छात्र-अध्यापक के मानक के अनुसार पद रिक्त होने की दशा में ही कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें।
7. सम्बन्धित प्र0अ0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि खण्ड शिक्षा अधिकारी की अनुमति के उपरान्त ही कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें।
8. सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका को तत्काल अनुपालनार्थ प्रेषित।
9. कार्यालय आदेश पंजिका।

(सकलानी)
जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0)
देहरादून।

कार्यालय-मुख्य शिक्षा अधिकारी, देहरादून।

आदेश संख्या: प्र0रा0-3/ 358 /स्थाना0(प्रा0वि0)/2013-14, दिनांक : -दिसम्बर, 2013

19.2.2014

अनुरोध के आधार स्थानान्तरण आदेश

उत्तराखण्ड शासन माध्यमिक शिक्षा, अनुभाग-2 संख्या: 201(A)/XXIV-2/2013-32 (01)/2013 दिनांक 21 मई 2013 के उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापना नियमावली 2013 में निहित प्राविधानों के अनुसार एवं निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या-प्रा0शि0/वे0स0/22406-20/2013-14 दिनांक 14 नवम्बर, 2013 में दिये गये निर्देशानुसार अनुरोध की श्रेणी में नियम-11(3)(ज) के अन्तर्गत Y क्षेत्र के विद्यालयों में न्यूनतम एक वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके शिक्षकों द्वारा स्थानान्तरण हेतु आवेदन पर नियमानुसार स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत प्रधानाध्यापक/सहायक अध्यापक को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में निजी व्यय पर उपलब्ध रिक्त पद पर स्थानान्तरित किया जाता है। यदि किसी शिक्षक/शिक्षिका द्वारा कोई तथ्य छुपाया गया है, तो सम्बन्धित शिक्षिका का स्थानान्तरण आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा एवं सम्बन्धित के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। स्थानान्तरित शिक्षकों के स्थानान्तरण आदेश का क्रियान्वयन शिक्षा सत्र प्रारम्भ होने की तिथि अर्थात् अप्रैल 2014 में किया जायेगा।

क्र0सं0	अध्यापक का नाम	कार्यरत विद्यालय का नाम	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम
1	2	3	4
1	राजेश कुमार सैनी, स0अ0	रा0प्रा0वि0 त्यूनी न0-2, चकराता	रा0प्रा0वि0 कोल, विकासनगर
2	राजकिशोर, स0अ0	रा0प्रा0वि0 रूपउ नवीन, कालसी	रा0प्रा0वि0 जहादरा, विकासनगर,
3	श्री राकेश कुमार जैन, स0अ0	रा0प्रा0वि0 मलउ, कालसी	रा0प्रा0वि0 बावनधार, विकासनगर
4	श्रीमती उषा जुवांठा, स0अ0	रा0प्रा0वि0 पानुवा, कालसी	रा0प्रा0वि0 भदोगी, विकासनगर
5	श्रीमती सिम्मी मेहता, स0अ0	रा0प्रा0वि0 कोटि कोरवा, कालसी	रा0प्रा0वि0 नाली-2, रायपुर
6	सुमन सिंह, स0अ0	रा0प्रा0वि0 दौंघा, चकराता	रा0प्रा0वि0 जाँसल, विकासनगर
7	श्रीमती अनिता चौहान, स0अ0	रा0प्रा0वि0 समाल्टा, कालसी	रा0प्रा0वि0 खालीच, रायपुर

(पदमेन्द्र सकलानी)

जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0)
देहरादून।

प्रा0सं0: प्र0रा0-3/ 4328-34 /स्थाना0(प्रा0वि0)/2013-14, दिनांक : उक्तांकित।

प्रतिलिपि - निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. अपर निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा) गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी, जनपद देहरादून।
5. सम्बन्धित वित्त अधिकारी जनपद देहरादून।
6. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी/उप शिक्षा अधिकारी जनपद देहरादून को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि-
 - a) एकल शिक्षक वाले विद्यालयों से प्रतिस्थानी के न होने की दशा में स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिका को कार्यमुक्त न किया जाय।
 - b) स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिका को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में दिये गये छात्र-अध्यापक के मानक के अनुसार पद रिक्त होने की दशा में ही कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें।
7. सम्बन्धित प्रा0अ0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि खण्ड शिक्षा अधिकारी की अनुमति के उपरान्त ही कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें।
8. सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका को तत्काल अनुपालनार्थ प्रेषित।
9. कार्यालय आदेश पंजिका।

जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0)
देहरादून।

19.2.14

कार्यालय-मुख्य शिक्षा अधिकारी, देहरादून।

आदेश संख्या: प्र0रा0-3/ 357 /स्थाना0(स0अ0प्रा0वि0)/2013-14, दिनांक : दिसम्बर, 2013
12.2.2014

अनुरोध के आधार स्थानान्तरण आदेश

उत्तराखण्ड शासन माध्यमिक शिक्षा, अनुभाग-2 संख्या: 201(A)/XXIV-2/2013-32 (01)/2013 दिनांक 21 मई 2013 के उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापना नियमावली 2013 में निहित प्राविधानों के अनुसार एवं निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या-प्रा0शि0/वै0स0/22406-20/2013-14 दिनांक 14 नवम्बर, 2013 में दिये गये निर्देशानुसार अनुरोध की श्रेणी में नियम-11(3)(छ) X क्षेत्र के C श्रेणी के विद्यालयों में कार्यरत ऐसे शिक्षक जो A व B श्रेणी में कभी भी कार्यरत नहीं रहे व सेवा 5 वर्ष हो चुकी है, स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत प्रधानाध्यापक/सहायक अध्यापक को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में निजी व्यय पर उपलब्ध रिक्त पद पर स्थानान्तरित किया जाता है। यदि किसी शिक्षक/शिक्षिका द्वारा कोई तथ्य छुपाया गया है, तो सम्बन्धित शिक्षिका का स्थानान्तरण आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा एवं सम्बन्धित के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। स्थानान्तरित शिक्षकों के स्थानान्तरण आदेश का क्रियान्वयन शिक्षा सत्र प्रारम्भ होने की तिथि अर्थात् अप्रैल 2014 में किया जायेगा।

क्र0सं0	अध्यापक का नाम	कार्यरत विद्यालय का नाम	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम
1	2	3	4
1	श्रीमती अर्चना शर्मा, स0अ0	रा0प्रा0वि0 सहिया, कालसी	रा0प्रा0वि0 बंजारावाला, रायपुर
2	श्रीमती राधिका शर्मा, स0अ0	रा0प्रा0वि0 सहिया, कालसी	रा0प्रा0वि0 मोहब्बेवाला, रायपुर
3	श्रीमती जगतबाला, प्र0अ0	रा0प्रा0वि0 कालसी बाजार, कालसी	रा0प्रा0वि0 मोहब्बेवाला, रायपुर
4	श्रीमती हेमलता बडधवाल, स0अ0	रा0प्रा0वि0 डकरानी, विकासनगर,	रा0प्रा0वि0 गढवाली कालोनी, रायपुर

(पदमेन्द्र सकलानी)
जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0)
देहरादून।

पू0सं0: प्र0रा0-3/ 4321-27 /स्थाना0(स0अ0उ0प्रा0वि0)/2013-14, दिनांक : उक्तांकित।

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. अपर निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा) गढवाल मण्डल पौड़ी।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी, जनपद देहरादून।
5. सम्बन्धित वित्त अधिकारी जनपद देहरादून।
6. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी/उप शिक्षा अधिकारी जनपद देहरादून को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि-
 - a) एकल शिक्षक वाले विद्यालयों से प्रतिस्थानी के न होने की दशा में स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिका को कदापि कार्यमुक्त न किया जाय।
 - b) स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिका को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में दिये गये छात्र-अध्यापक के मानक के अनुसार पद रिक्त होने की दशा में ही कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें।
7. सम्बन्धित प्र0अ0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि खण्ड शिक्षा अधिकारी की अनुमति के उपरान्त ही कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें।
8. सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका को तत्काल अनुपालनार्थ प्रेषित।
9. कार्यालय आदेश पंजिका।

जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0)
देहरादून।

कार्यालय-मुख्य शिक्षा अधिकारी, देहरादून।

आदेश संख्या: प्र0रा0-3/ 356 /स्थाना0(प्रा0वि0)/2013-14, दिनांक : ~~दिसम्बर, 2013~~
12-2-2014

अनुरोध के आधार स्थानान्तरण आदेश

उत्तराखण्ड शासन माध्यमिक शिक्षा, अनुभाग-2 संख्या: 201(A)/XXIV-2/2013-32 (01)/2013 दिनांक 21 मई 2013 के उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापना नियमावली 2013 में निहित प्रावधानों के अनुसार एवं निर्देशक प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या-प्रा0शि0/वै0सं0/22406-20/2013-14 दिनांक 14 नवम्बर, 2013 में दिये गये निर्देशानुसार अनुरोध की श्रेणी में नियम-11(3)(ड) सेवानिवृत्ति के 3 वर्ष या उससे कम सेवा अवधि वाले शिक्षकों द्वारा स्थानान्तरण हेतु आवेदन पर स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत प्रधानाध्यापक/सहायक अध्यापक को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में निजी व्यय पर उपलब्ध रिक्त पद पर स्थानान्तरित किया जाता है। यदि किसी शिक्षक/शिक्षिका द्वारा कोई तथ्य छुपाया गया है, तो सम्बन्धित शिक्षिका का स्थानान्तरण आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा एवं सम्बन्धित के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। स्थानान्तरित शिक्षकों के स्थानान्तरण आदेश का क्रियान्वयन शिक्षा सत्र प्रारम्भ होने की तिथि अर्थात् अप्रैल 2014 में किया जायेगा।

क्र0सं0	अध्यापक का नाम	कार्यरत विद्यालय का नाम	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम
1	2	3	4
1	चन्द्रमोहन, प्र0अ0	रा0प्रा0वि0 लडवाकोट, रायपुर	रा0प्रा0वि0 कन्या थानी, रायपुर
2	श्री सुरेश चन्द्र, प्र0अ0	रा0प्रा0वि0 डाकरा, धकराता	रा0प्रा0वि0 डकरानी कालोनी, विकासनगर
3	श्रीमती मंजुला जोशी, प्र0अ0	रा0प्रा0वि0 डिमउ, कालसी	रा0प्रा0वि0 केदारपुर, रायपुर
4	लीला बिष्ट, प्र0अ0	रा0प्रा0वि0 कोटि, कालसी	रा0प्रा0वि0 महमूदनगर, सहसपुर
5	मंजुलिका चौहान, प्र0अ0	रा0प्रा0वि0 ब्यासमूड, कालसी	रा0प्रा0वि0 तरला नागल, रायपुर
6	रीता बाली दत्ता, प्र0अ0	रा0प्रा0वि0 अतलेउ, कालसी	रा0प्रा0वि0 कारमी, रायपुर
7	सत्यपाल सिंह वर्मा, प्र0अ0	रा0प्रा0वि0 कोरवा, कालसी	रा0प्रा0वि0 निस्सरवाला, डोई0
8	उषा क्षेत्री, प्र0अ0	रा0प्रा0वि0 समाल्टा, कालसी	रा0प्रा0वि0 डोईवाला,
9	सुषमा अग्रवाल, स0अ0	रा0प्रा0वि0 बोसान, कालसी	रा0प्रा0वि0 शाहपुर कल्याणपुर, विकासनगर
10	श्री गुलाब सिंह चौहान, प्र0अ0	रा0प्रा0वि0 बढेत, कालसी	रा0प्रा0वि0 छरबा अपर, सहसपुर
11	निशा रावत, स0अ0	रा0प्रा0वि0 सिंहनीवाला, विकासनगर	रा0प्रा0वि0 चालंग, रायपुर
12	श्री विजेन्द्र सिंह, प्र0अ0	रा0प्रा0वि0 निधला, कालसी	रा0प्रा0वि0 तुन्तोवाला, रायपुर
13	श्रीमती कमलेश, प्र0अ0	रा0प्रा0वि0 ब्यासनहरी, कालसी	रा0प्रा0वि0 हरवाला-2, डोई0

(पदमेन्द्र सकलानी)
जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0)
देहरादून।

पु0सं0: प्र0रा0-3/ 4314-20 /स्थाना0(प्रा0वि0)/2013-14, दिनांक : उक्तांकित।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निर्देशक प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. अपर निर्देशक (प्रारम्भिक शिक्षा) गढ़वाल मण्डल पीडी।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी, जनपद देहरादून।
5. सम्बन्धित वित्त अधिकारी जनपद देहरादून।
6. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी/उप शिक्षा अधिकारी जनपद देहरादून को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि-
 - a) एकल शिक्षक वाले विद्यालयों से प्रतिस्थानी के न होने की दशा में स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिका को कदापि कार्यमुक्त न किया जाय।
 - b) स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिका को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में दिये गये छात्र-अध्यापक के मानक के अनुसार पद रिक्त होने की दशा में ही कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें।
7. सम्बन्धित प्र0अ0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि खण्ड शिक्षा अधिकारी की अनुमति के उपरान्त ही कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें।
8. सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका को तत्काल अनुपालनार्थ प्रेषित।
9. कार्यालय आदेश पंजिका।

जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0)
देहरादून।

कार्यालय-मुख्य शिक्षा अधिकारी, देहरादून।

आदेश संख्या: प्र0रा0-3/ 355 /स्थाना0(रा0प्रा0वि0)/2013-14, दिनांक : 12 दिसम्बर, 2013

अनुरोध के आधार स्थानान्तरण आदेश

12 दिसम्बर 2013

उत्तराखण्ड शासन माध्यमिक शिक्षा, अनुभाग-2 संख्या: 201(A)/XXIV-2/2013-32 (01)/2013 दिनांक 21 मई 2013 के उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापना नियमावली 2013 में निहित प्राविधानों के अनुसार एवं निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या-प्रा0शि0/वै0स0/22406-20/2013-14 दिनांक 14 नवम्बर, 2013 में दिये गये निर्देशानुसार अनुरोध की श्रेणी में नियम-11(3)(ख) विकलांग शिक्षकों द्वारा स्थानान्तरण हेतु आवेदन पर स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत प्रधानाध्यापक/सहायक अध्यापक को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में निजी व्यय पर उपलब्ध रिक्त पद पर स्थानान्तरित किया जाता है। यदि किसी शिक्षक/शिक्षिका द्वारा कोई तथ्य छुपाया गया है, तो सम्बन्धित शिक्षिका का स्थानान्तरण आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा एवं सम्बन्धित के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। स्थानान्तरित शिक्षकों के स्थानान्तरण आदेश का क्रियान्वयन शिक्षा सत्र प्रारम्भ होने की तिथि अर्थात् अप्रैल 2014 में किया जायेगा।

क्र0 सं0	अध्यापक का नाम	कार्यरत विद्यालय का नाम	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम
1	2	3	4
1	श्रीमती अनिता बसेरा तोमर, स0अ0	रा0प्रा0वि0 कोरवा, कालसी	रा0प्रा0वि0 जीवनगढ, विकासनगर
2	श्रीमती रीमा नेगी, स0अ0	रा0प्रा0वि0 नवीन जौली, डोई0	रा0प्रा0वि0 हरवाला-2, डोईवाला

(पदमेन्द्र सकलानी)
जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0)
देहरादून।

पृ0स0: प्र0रा0-3/ 4303-13 /स्थाना0(रा0प्रा0वि0)/2013-14, दिनांक : उक्तांकित।

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. अपर निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा) गडवाल मण्डल पौड़ी।
4. सम्बन्धित-कोषाधिकारी, जनपद देहरादून।
5. सम्बन्धित वित्त अधिकारी जनपद देहरादून।
6. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी/उप शिक्षा अधिकारी जनपद देहरादून को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि-
 - a) एकल शिक्षक वाले विद्यालयों से प्रतिस्थानी के न होने की दशा में स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिका को कदापि कार्यमुक्त न किया जाय।
 - b) स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिका को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में दिये गये छात्र-अध्यापक के मानक के अनुसार पद रिक्त होने की दशा में ही कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें।
 - c) नियमानुसार स्वयं की विकलांगता का प्रमाण पत्र अवलोकन कर छायाप्रति लेने के उपरान्त ही सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका को कार्यभार ग्रहण करायें।
7. सम्बन्धित प्र0अ0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि खण्ड शिक्षा अधिकारी की अनुमति के उपरान्त ही कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें।
8. सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका को तत्काल अनुपालनार्थ प्रेषित।
9. कार्यालय आदेश पंजिका।

(पदमेन्द्र सकलानी)
जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0)
देहरादून। 1

कार्यालय-मुख्य शिक्षा अधिकारी, देहरादून।

आदेश संख्या: प्र0रा0-3/ 353 /स्थाना0(रा0प्रा0वि0)/2013-14, दिनांक : 12 दिसम्बर, 2013

अनुरोध के आधार स्थानान्तरण आदेश

उत्तराखण्ड शासन माध्यमिक शिक्षा, अनुभाग-2 संख्या: 201(A)/XXIV-2/2013-32 (01)/2013 दिनांक 21 मई 2013 के उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापना नियमावली 2013 में निहित प्राविधानों के अनुसार एवं निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या-प्रा0शि0/वै0स0/22406-20/2013-14 दिनांक 14 नवम्बर, 2013 में दिये गये निर्देशानुसार अनुरोध की श्रेणी में नियम-10(2)(क) के अन्तर्गत X श्रेणी में कार्यरत शिक्षकों द्वारा Y क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु आवेदन पर स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत प्रधानाध्यापक/सहायक अध्यापक को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में निजी व्यय पर उपलब्ध रिक्त पद पर स्थानान्तरित किया जाता है। यदि किसी शिक्षक/शिक्षिका द्वारा कोई तथ्य छुपाया गया है, तो सम्बन्धित शिक्षिका का स्थानान्तरण आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा एवं सम्बन्धित के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। स्थानान्तरित शिक्षकों के स्थानान्तरण आदेश का क्रियान्वयन शिक्षा सत्र प्रारम्भ होने की तिथि अर्थात् अप्रैल 2014 में किया जायेगा।

क्र0सं0	अध्यापक का नाम	कार्यरत विद्यालय का नाम	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम
1	2	3	4
1	श्रीमती रेखा भट्ट, स0अ0	रा0प्रा0वि0 लक्ष्मीपुर, सहसपुर	रा0प्रा0वि0 द्वारा, रायपुर
2	मनीषा मंगगाई, स0अ0	रा0प्रा0वि0 सेलाकूई, सहसपुर	रा0प्रा0वि0 भितरली, सहसपुर
3	कोकिला मैठाणी, स0अ0	रा0प्रा0वि0 रैनापुर, डोईवाला	रा0प्रा0वि0 इठारना-1, डोईवाला

(पदमेन्द्र सकलानी)
जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0)
देहरादून।

पु0सं0: प्र0रा0-3/ 4293-99 /स्थाना0(रा0प्रा0वि0)/2013-14, दिनांक : उक्तांकित।

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. अपर निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा) गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी, जनपद देहरादून।
5. सम्बन्धित वित्त अधिकारी जनपद देहरादून।
6. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी/उप शिक्षा अधिकारी जनपद देहरादून को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि-
 - a) एकल शिक्षक वाले विद्यालयों से प्रतिस्थानी के न होने की दशा में स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिका को कदापि कार्यमुक्त न किया जाय।
 - b) स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिका को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में दिये गये छात्र-अध्यापक के मानक के अनुसार पद रिक्त होने की दशा में ही कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें।
7. सम्बन्धित प्र0अ0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि खण्ड शिक्षा अधिकारी की अनुमति के उपरान्त ही कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें।
8. सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका।
9. कार्यालय आदेश पंजिका।

(पदमेन्द्र सकलानी)
जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0)
देहरादून।